रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2011/श्रावण 27, 1933
No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2011/SRAVANA 27, 1933

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2011

सं. भा.आ.प.-12(2)/2010-मेडि. मिस./28693.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुन: संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:

1 (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2011" कहा जाए ।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे:—

3 (i) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" की 'सारणी-1' में - शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षिताएं शीर्षक के अंतर्गत 'शैक्षिक योग्यताएं' कॉलम में 'कम्युनिटी मेडिसिन' विभाग के सामने एम.डी. (कम्युनिटी मेडिसिन) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"एम.डी. (कम्युनिटी स्वास्थ्य प्रशासन)/एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन)"

(ii) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" की 'सारणी-1' में - शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षिताएं शीर्षक के अंतर्गत 'शैक्षिक योग्यताएं' कॉलम में 'स्थास्थ्य प्रशासन' विभाग के सामने एम.डी. (कम्युनिटी स्वास्थ्य प्रशासन) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"एम.डी. (कम्युनिटी स्वास्थ्य प्रशासन)/एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन)"

(iii) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" की 'सारणी-1' में - शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षिताएं शीर्षक के अंतर्गत 'शैक्षिक योग्यताएं' कॉलम में 'अस्पताल प्रशासन' विभाग के सामने एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"एम.डी. (कम्युनिटी स्वास्थ्य प्रशासन)"

(iv) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" की 'सारणी-1' में - शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षिताएं शीर्षक के अंतर्गत 'शैक्षिक योग्यताएं' कॉलम में 'स्वास्थ्य शिक्षा' विभाग के सामने एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"एम.डी. (कम्युनिटी स्वास्थ्य प्रशासन)"

(v) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" की 'सारणी-1' में - शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षिताएं शीर्षक के अंतर्गत 'शैक्षिक योग्यताएं' कॉलम में 'जन स्वास्थ्य' विभाग के सामने एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"एम.डी. (कम्युनिटी स्वास्थ्य प्रशासन)"

(vi) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" की 'सारणी-1' में-अध्यापन व अनुसंधान अनुभव की अपेक्षिताएं शीर्षक के अंतर्गत में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/

प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव को स्वास्थ्य प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, कम्युनिटी मेडिसन, स्वास्थ्य शिक्षा व जन स्वास्थ्य विभागों में सहायक प्रोफेसर पद के सामने निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में संबंधित विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव"।

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/11/असा.]

पाद टिप्पणी :—प्रधान नियमावली नामत: "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16-3-2005, 21-7-2009, 28-10-2009, 15-12-2009, 3-11-2010 तथा 4-11-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2011

No. MCI-12(2)/2010-Med. Misc./28693.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2011".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be, as indicated therein :—

3 (i) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'Table-I' under the heading "Requirements of Academic Qualifications", in the column of 'Academic Qualifications' against the department of 'Community Medicine', the following shall be added after M.D. (Community Medicine) :—

"M.D. (Community Health Administration)/M.D. (Health Administration)"

(ii) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'Table-I' under the heading "Requirements of Academic Qualifications", in the column of 'Academic Qualifications' against the department of 'Health Administration', the following shall be added after M.D. (Community Health Administration):—

"M.D. (Community Health Administration)/M.D. (Health Administration)"

(iii) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'Table-I' under the heading "Requirements of Academic Qualifications", in the column of 'Academic Qualifications' against the department of 'Hospital Administration', the following shall be added after M.D. (Health Administration) :—

"M.D. (Community Health Administration)"

(iv) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'Table-I' under the heading "Requirements of Academic Qualifications", in the column of 'Academic Qualifications' against the department of 'Health Education', the following shall be added after M.D. (Health Administration) :—

"M.D. (Community Health Administration)"

(v) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'Table-I' under the heading "Requirements of Academic Qualifications", in the column of 'Academic Qualifications" against the department of 'Public Health', the following shall be added after MD (Health Administration) :—

"M.D. (Community Health Administration)"

(vi) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'Table-I' under the heading "Requirements of Teaching and Research Experience", the word "Three years teaching experience in the subject in a recognized medical college as Tutor/Demonstrator/Resident/Registrar" shall be substituted with the following in the department of Community Medicine, Health Administration, Hospital Administration, Health Education & Public Health against the post of Assistant Professor :—

"Three years teaching experience in the subject in a recognized medical college/institute as tutor/demonstrator/resident/registrar"

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/100/11-Exty.]

Foot Note :—The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended *vide* MCI notifications dated 16-3-2005, 21-7-2009, 28-10-2009, 15-12-2009, 3-11-2010 and 4-11-2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.